मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2007 (चैत्र 2, 1929)

समय प्रात: 9.00 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2007-2008 का परिणामी बजट पटल पर रखेंगे.

3. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, मंडी बोर्ड सड़क निधि की राशि का अन्य कार्यों में उपयोग किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती अलका जैन, सदस्य, कटनी निवासी एक युवती की संदिग्ध मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री राजनारायण सिंह पुरनी, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में पोषण आहार क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ.आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज के वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य, संस्कृत बोर्ड द्वारा अंकसूचियों में हेराफेरी किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री प्रियव्रत सिंह, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य, बड़वानी जिले के एक कृषक द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सतना जिले के बाणसागर डूब प्रभावितों के नई बसाहट में ऋण सुविधा मुहैया न कराये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री राजेश पटेल, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में कृषकों द्वारा ऋण की अदायगी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविंद सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने का कारखाना पकड़े जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री राजेश पटेल, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, सदस्य, भोपाल के कमला नगर थाना अन्तर्गत मादक पदार्थों की अवैध बिक्री होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री अजय सिंह, सदस्य, प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन राशि केन्द्र सरकार के समान न दिये जाने की ओर सामाजिक न्याय मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, प्रदेश में पोलिटेक्निक कालेजों को निजी हाथों में सौंपे जाने की ओर राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सतना जिले में गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को खाद्यान्न एवं केरोसीन न मिलने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बालाघाट के लांजी में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम हासिलपुर स्थित मंदिर से मूर्ति की चोरी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री आरिफ अकील, सदस्य, हरदा जिले में तवा नहर से सिंचाई हेतु पानी अंतिम छोर तक न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, रामलखन शर्मा, सदस्य, रतलाम जेल में विचाराधीन कैदी की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री दीपक कैलाश जोशी, सदस्य, भोपाल के भौंरी बकानिया स्थित गैस प्लांट से कम मात्रा में गैस भरी जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री रामनिवास रावत, श्रीमती सरोजबच्चन नायक, डॉ. सुनीलम्, सदस्य, रतलाम स्थित ईसाई मिशनरी के अस्पताल परिसर से अस्थियां पाई जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले में ग्राम रामनई में एक युवक की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के किल्लाई में एक लड़की के साथ बलात्कार के दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल में सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य, देवास जिले के खातेगांव एवं कन्नौद तहसील में अतिवृष्टि से प्रभावित फसल के सर्वे कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री गजराज सिंह सिकरवार, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का सप्तम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के -

(क) ग्राम ओड़गड़ी में कन्या प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,
(ख) ग्राम महखोर में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
(ग) ग्राम झारा में कन्या आश्रम खोले जाने,
(घ) ग्राम उज्जैनी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने, तथा
(ङ) ग्राम बरगवां के कन्या माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) तहसील जावरा के ग्राम लालाखेड़ा से जावरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(ख) विकासखंड जावरा के ग्राम बहादुरपुर से आक्योबनी तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
(ग) पिपलौदा तहसील के ग्राम मावता से रियावन के मध्य विद्युत ग्रिड स्थापित कराये जाने,
(घ) ग्राम पिंगराला, जड़वासा, बरखेड़ी के मध्य खोड़ाना तालाब का अधिग्रहण कर नहर बनाये जाने,
(ङ) तहसील जावरा के शासकीय महाविद्यालय स्थित मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने, तथा
(च) तहसील जावरा के ग्राम माण्डवी में विद्युत ग्रिड की स्थापना कराये जाने,

(3) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य, होशंगाबाद जिले की तहसील सोहागपुर के -

(क) ग्राम शोभापुर में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का भवन निर्माण कराये जाने,तथा
(ख) ग्राम शोभापुर स्थित नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री गृह, दिनांक 21 फरवरी, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्रमांक 787) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

1 घन्टा (1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री शरद जैन "एडव्होकेट", सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि नाई जाति को प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय".

45 मि. (2) श्री कपूरचंद घुवारा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ललितपुर-सिंगरोली रेल लाईन का कार्य प्रथम फेस में लेकर तीव्र गति से पूर्ण कराया जाय".

45 मि. (3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भिण्ड से कोंच (उ.प्र.) व्हाया लहार रेल लाईन बिछायी जाय".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 मार्च, 2007